रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022021-225060
CG-DL-E-10022021-225060

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 559] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 2021/माघ 20, 1942
No. 559] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2021/MAGHA 20, 1942

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी 2021

का.आ. 611(अ).—केंद्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन स्कीम, 2021 है।

(2) इसमें इसके पश्चात अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय इस स्कीम के उपबंध 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1975 में, पंद्रहवीं अनुसूची में, --

(i) मद VI में "इस अनुसूची", शब्दों के पश्चात् "30 जून, 2017 तक" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) मद VI के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"VII मकान किराया भत्ता

1 जुलाई, 2017, से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक जिसको किराया मुक्त निवास स्थान नहीं प्रदान किया गया है उसे केंद्रीय सरकार द्वारा 'X' के रूप में वर्गीकृत नगर में मूल वेतन के 24 प्रतिशत की दर से प्रति मास मकान किराया भत्ता (एचआरए) का संदाय किया जाएगा।

एचआरए की दर को मूल वेतन का 27 प्रतिशत तब पुनरीक्षित किया जाएगा जब महंगाई भत्ता (डीए) 25 प्रतिशत से अधिक हो जाता है और मूल वेतन का 30 प्रतिशत तब और पुनरीक्षित होगा जब डीए 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है।

VIII परिवहन भत्ता

1 जुलाई, 2017 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, जो अन्यथा आवास और कार्यालय के बीच यात्रा के लिए कार्यालय की कार का प्रयोग करने के लिए पात्र है, 15,750 रुपये प्रतिमाह की दर से परिवहन भत्ता और उस पर महंगाई भत्ते को आहरित करने का विकल्प होगा यदि वह आवास और कार्यालय के बीच यात्रा के लिए कार्यालय कार का प्रयोग नहीं करते हों।

IX बाल शिक्षा भत्ता

(1) 1 जुलाई, 2017 से, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति अधिकतम दो बालकों के अध्यधीन अधिकतम 2,250 रुपये प्रति बालक प्रतिमाह संदाय किया जाएगा;

परंतु यह कि यदि बालक हॉस्टल में रह रहा है उसे 6,750 रुपये प्रति बालक प्रतिमाह की हॉस्टल सब्सिडी प्रतिपूर्ति की जाएगी, इसलिए, हालाँकि बाल शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी में से केवल एक ही प्रदान की जाएगी।

(2) बाल शिक्षा भत्ता या हॉस्टल सब्सिडी दो बड़े जीवित बालकों के लिए प्रदान की जाएगी।

(3) उपरोक्त सीमाएं महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत के होने पर प्रत्येक समय 25 प्रतिशत स्वत: बढ़ जाएंगी।

(4) यदि अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पति/पत्नी सरकारी सेवक है, बाल शिक्षा भत्ता या हॉस्टल सब्सिडी के अधीन प्रतिपूर्ति उनमें से केवल एक को प्रदान की जाएगी।

(5) दिव्यांग बालक के लिए बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति 54,000 रुपये की वार्षिक सीमा के अधीन विहित सामान्य दर से दोहरे का संदाय किया जाएगा।

X इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट रुप से सम्मिलित नहीं किए गए अन्य भत्ते–अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक को अन्य भत्तों का संदाय जो इस अनुसूची में विनिर्दिष्टतया उल्लिखित नहीं किया गया है केंद्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2016 के आधार पर उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड में अधिकारियों के मामले में स्वीकार्य होगा।

[फा. सं.-11012/02/2018-बीमा II]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. केंद्रीय सरकार ने 1 जुलाई, 2017 से कारपोरेशन के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और कंपनियों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों के संबंध में कतिपय भत्तों के पुनरीक्षण के लिए अनुमोदन किया है । तदनुसार, साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1975 को 1 जुलाई, 2017 से संशोधित किया जा रहा है ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से कारपोरेशन के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और कंपनियों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है ।

टिप्पण : मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) संख्या का.आ. 521 (अ), तारीख 17 सितंबर, 1975 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 672(अ) तारीख 21 नवंबर,1975, का.आ. 389(अ) तारीख 1.6.1976, का.आ. 2445 तारीख 30.7.1977, का.आ. 1047 तारीख 29.3.1978, का.आ. 2110 तारीख 14.6.1978, का.आ. 3428 तारीख 16.11.1978, का.आ. 5 तारीख 20.12.1978, का.आ. 770 (अ) तारीख 15.10.1985, का.आ. 883 (अ) तारीख 9.12.1985, का.आ. 442 (अ) तारीख 27.4.1987, का.आ.138 (अ) तारीख 29.1.1988, का.आ. 782 (अ) तारीख 22.8.1988, का.आ. 572 (अ) तारीख 25.7.1989, का.आ. 751 (अ) तारीख1.10.1990, का.आ.200 (अ) तारीख 10.3.1992, का.आ.81 (अ) तारीख 2.2.1994, का.आ.592 (अ) तारीख 30.6.1995, का.आ.521 (अ) तारीख 18.7.1996, का.आ.108 (अ) तारीख 14.2.1997, का.आ. 168 (अ) तारीख 5.3.1998, का.आ.729 (अ) तारीख 27.8.1998, का.आ. 695 (अ) तारीख 30.8.1999, का.आ.587 (अ) तारीख 22.6.2000, का.आ.781(अ) तारीख 14.8.2001, का.आ.1027(अ) तारीख 22.9.2004, का.आ. 634(अ) तारीख 4.5.2005, का.आ.1792(अ) तारीख 21.12.2005, का.आ. 2742 (अ) तारीख 26.11.2008, का.आ. 2470 (अ) तारीख 8.10.2010, का.आ. 233 (अ) तारीख 23.1.2016, का.आ. 238 (अ) तारीख 23.1.2016 और का.आ. 370 (अ) तारीख 8.2.2017 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2021

S.O. 611(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section(1) of Section 16 read with section 17 A of the General Insurance Business (Nationalization) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby frames the following Scheme further to amend the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975, namely :-

1. (1) This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Amendment Scheme, 2021.

(2) Save as otherwise provided hereinafter, the provisions of this Scheme shall be deemed to have come into force on the 1st day of July, 2017.

2. In the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975, in the Fifteenth Schedule,—

(i) in Item VI, after the words, 'this Schedule', the words and figures, 'up to 30th June, 2017' shall be inserted;

(ii) after Item VI, the following items shall be inserted, namely:-

"VII House Rent Allowance:

(1) With effect from 1st day of July,2017, the Chairman-cum-Managing Director who has not been provided with a rent free residential accommodation shall be paid a House Rent Allowance (HRA) per month at the rate of 24% of Basic Pay in a city classified as 'X' by the Central Government.

(2) The rate of HRA will be revised to 27% of Basic Pay when Dearness Allowance (DA) crosses 25% and further revised to 30% of Basic Pay when DA crosses 50%.

VIII Transport Allowance:

With effect from 1st day of July, 2017, the Chairman-cum-Managing Director, who is otherwise entitled to the use of official car for travel between residence and office, shall have an option to draw transport allowance at the rate of Rs. 15,750 per month plus Dearness Allowance thereon provided he does not make use of official car for travel between residence and office.

IX Children Education Allowance:

(1) With effect from 1st day of July, 2017, reimbursement of Children Education Allowance to the Chairman-cum-Managing Director shall be up to the maximum of Rs. 2,250 per child per month subject to the maximum of two children:

Provided that if the child is residing in hostel, hostel subsidy shall be reimbursed up to the maximum of Rs. 6,750 per child per month, so, however, that both the Children Education Allowance and the hostel subsidy shall not be availed concurrently.

(2) The Children Education Allowance or the hostel subsidy may be availed for two eldest surviving children.

(3) The above limits shall be automatically raised by 25% every time the Dearness Allowance goes up by 50%.

(4) If spouse of the CMD is a Government servant, only one of them shall avail reimbursement under Children Education Allowance or hostel subsidy.

(5) The reimbursement of Children Education Allowance for differently abled children shall be payable at double the normal rates prescribed subject to an annual ceiling of Rs. 54,000.

X Other allowances not specifically included in this Schedule:

The payment of other allowances to the Chairman-cum-Managing Director, not specifically mentioned in this Schedule, shall be made as admissible in the case of Officers in Higher Administrative Grade on the basis of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016".

[F. No. A-11012/02/2018-Ins-II]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Central Government has accorded approval for revision of certain allowances in respect of the Chairman-cum-Managing Director of the Corporation and the Chairman-cum-Managing Directors of the Companies with effect from the 1st day of July, 2017. Accordingly, the General Insurance

(Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975 is being amended with effect from the 1st day of July, 2017.

2. It is certified that no Chairman-cum-Managing Director of the Corporation or Chairman-cum-Managing Director of the Company is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) vide notification No.S.O.521 (E), dated the 17th September, 1975, and subsequently amended by notification numbers S.O. 672(E) dated 21.11.1975, S.O. 389(E) dated 1.6.1976, S.O. 2445 dated 30.7.1977, S.O. 1047 dated 29.3.1978, S.O. 2110 dated 14.6.1978, S.O. 3428 dated 16.11.1978, S.O. 5 dated 20.12.1978, S.O. 770(E) dated 15.10.1985, S.O. 883(E) dated 9.12.1985, S.O. 442(E) dated 27.4.1987, S.O. 138(E) dated 29.1.1988, S.O. 782(E) dated 22.8.1988, S.O. 572(E) dated 25.7.1989, S.O. 751(E) dated 1.10.1990, S.O. 200(E) dated 10.3.1992, S.O. 81(E) dated 2.2.1994, S.O. 592(E) dated 30.06.1995, S.O. 521(E) dated 18.07.1996, S.O. 108 (E) dated 14.02.1997, S.O. 168(E) dated 5.3.1998, S.O. 729(E) dated 27.8.1998. S.O. 695(E) dated 30.08.1999, S.O. 587(E) dated 22.6.2000., S.O. 781 (E) dated 14.8.2001, S.O. 1027(E) dated 22.9.2004, S.O. 634(E) dated 4.5.2005, S.O. 1792 (E) dated 21.12.2005 S.O. 2742 (E) dated 26.11.2008, S.O. 2470(E) dated 08.10.2010, S.O. 233(E) dated 23.01.2016, S.O. 238(E) dated 23.01.2016 and S.O. 370(E) dated 08.02.2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM